पेंशन के लिए कौन पात्र है?

कर्मचारी पेंशन योजना, १९९५ का कोई भी सदस्य १० वर्ष की सेवा सहित ५८ वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन के लिए पात्र हो जाता है।

कोई सदस्य, अगर रोजगार पर नहीं है, तो वह भी ५० वर्ष की आयु पूरी होने तथा १० वर्ष की पात्र सेवा होने पर घटी हुई पेंशन का विकल्प चुन सकता है।

पात्र सेवा का क्या अर्थ है?

यह सेवा की ऐसी अवधि है जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना, १९९५ के अंतर्गत अंशदान प्राप्त हुआ हो अथवा प्राप्त करने योग्य हो।

मौसमी कामगार के रूप में आपके लिए क्या जानना जरूरी है?

पात्रता के लिए, किसी भी वर्ष में की गई अंशदायी सेवा को पूरे वर्ष का माना जाएगा, चाहे अंशदायी अवधि एक वर्ष से कम ही क्यों न हो।

उदाहरण:

मान लीजिए, यदि वर्ष २०१६ में किसी कर्मचारी की ४ महीने की अंशदायी सेवा हो तो पूरे वर्ष २०१६ की गणना पात्र सेवा के लिए की जाएगी। इसे ४ महीने तक सीमित न करके पात्रता के लिए पूरा एक वर्ष माना जाएगा।

Follow us on:

twitter.com/socialepfo facebook.com/socialepfo

Visit us on: www.epfindia.gov.in

जी हां! आप पेंशन के लिए पात्र हैं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

भविष्य निधि भवन, १४-भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली - ११० ०६६

जी हां, यदि आप इनमें से किसी भी मौसमी फैक्टरी तथा स्थापनाओं में वर्ष के केवल कुछ ही समय के लिए भी कार्य करते हैं तो आप १० वर्षों की सदस्यता के पश्चात् पेंशन के लिए पात्र हैं।

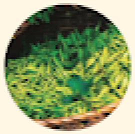
चाय

चीनी

तारपीन

रबड़

रोजिन

नील

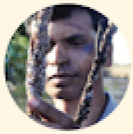
लाख

फल परिरक्षण

सब्जी परिरक्षण

चावल मिलिंग

दाल मिलिंग

काजू उद्योग

तंबाकू

टाईल

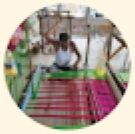
होजरी

तेल मिलिंग

लाईसेंस वाला नमक

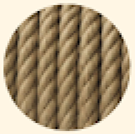
पटसन की गांठे बनाना एवं दबाना

पटाखे

परक्यूज़न कैप

बर्फ उद्योग

आईसक्रीम उद्योग

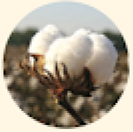
रूई की छँटाई, गांठे बनाना एवं दबाना

चाय बागान

कॉफी बागान

कॉफी क्यूरिंग

इलायची बागान

काली मिर्च का खेत

फायरक्ले अथवा जिप्सिम